मंत्री-विधायकों की सभाओं में पायलट समर्थकों की नारेबाजी के बाद अब गहलोत खेमे के मंत्री हुए मुखर

कांग्रेस में बदलाव की खबरों के बीच राजस्थान में गहलोत-पायलट खेमा खुलकर आमने-सामने आया

- गोविंद मेघवाल बोले, गहलोत साहब नहीं होते तो हमारी हालत खराब हो जाती।
- परसादी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, सरकार गहलोत की वजह से बची, वरना लोग हमें दो कौड़ी का बनाकर रख देते।

जयपुर, 14 सितम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस में चल रही बदलाव की खबरों के बीच राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर पहुंचती दिख रही है। मंत्री-विधायकों में इस बात की होड़ लगी है कि, किस तरह से अपने नेताओं को खुश किया जाए। पिछले एक सप्ताह से चल रही बयानबाजियों के बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के नेताओं ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। एक दिन पहले जहां गहलोत के मंच से बाबूलाल नागर लोगों को धमका रहे थे, वहीं बुधवार को राज्य के आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने अशोक गहलोत को एक विचारधारा बताते हुए कहा कि, गहलोत साहब नहीं होते तो हमारी हालत खराब हो जाती। हम आज मंत्री नहीं बनते। यह सारी गहलोत की सूझबूझ है, जिसकी वजह से सरकार बची। इसी के साथ मेघवाल ने चांदना को भी मजबूत नेता बताया।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने भी एक दिन पहले कहा था कि, विधायकों का विश्वास अशोक गहलोत में है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार गहलोत की वजह से बची है, वरना लोग हमें दो कौड़ी का बनाकर रख देते।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद मेघवाल ने कहा कि, गहलोत पूरे राजस्थान में एकता कायम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अपने आप में एक विचारधारा हैं। गहलोत ने कोरोना में शानदार मैनेजमेंट किया। आज गहलोत के राज में जनता के कल्याण की एक से एक योजनाएं चल रही हैं। हम ऐसे नेता के नेतृत्व में आगे चलेंगे। इससे आगे मेघवाल ने कहा कि, गहलोत महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जैसे महापुरुषों को फॉलो करते हैं। हमारे नेता अशोक गहलोत जैसी योजनाएं देश के किसी राज्य में नहीं मिलेंगी। गहलोत एडवांस में सुविधाएं देते हैं। महात्मा फुले की तरह गहलोत शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले सके।

सचिन पायलट पर मंत्री अशोक चांदना का सीधा हमला और पुष्कर के जूता फेंक कांड पर मेघवाल ने कहा, अशोक चांदना एक प्रखर और मजबूत नेता हैं। पुष्कर में जो घटना हुई है, उस पर अशोक चांदना खुद सब बात कह चुके हैं। जिनके राज में 76 गुर्जर मरे, उन नेताओं को तो वहां मालाएं पहनाकर स्वागत हो रहा था। जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए उन पर जूते फेंके गए। अब फैसला जनता को करना है।

मेघवाल ने आगे कहा, डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अगर बुलाया है तो बात सुननी चाहिए। चांदना अपनी बात कहने में सक्षम हैं। उन्होंने जो बातें कहीं हैं, उसमें सब साफ हो गया है। छोटे मोटे झगड़े हर पार्टी में होते हैं।

दूदू में मुख्यमंत्री की सभा में, गहलोत और राजीव गांधी के अलावा तीसरा नारा लगाने पर पुलिस से उठवाने की धमकी देने वाले मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर को लेकर मेघवाल ने कहा कि, नागर ने किस संदर्भ में बात कही है, उस पर जाना जरूरी है। बाबूलाल नागर जनाधार वाले और मजबूत नेता हैं। नागर कांग्रेस की नीति पर चलने वाले नेता हैं। नागर ने हमारी सरकार बचाई है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से गहलोत और पायलट खेमों में जारी खींचतान के बीच अब बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। मंत्रियों की सभाओं में सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी के बाद अब गहलोत खेमे के मंत्री-विधायक भी खुलकर सामने आने लगे हैं।

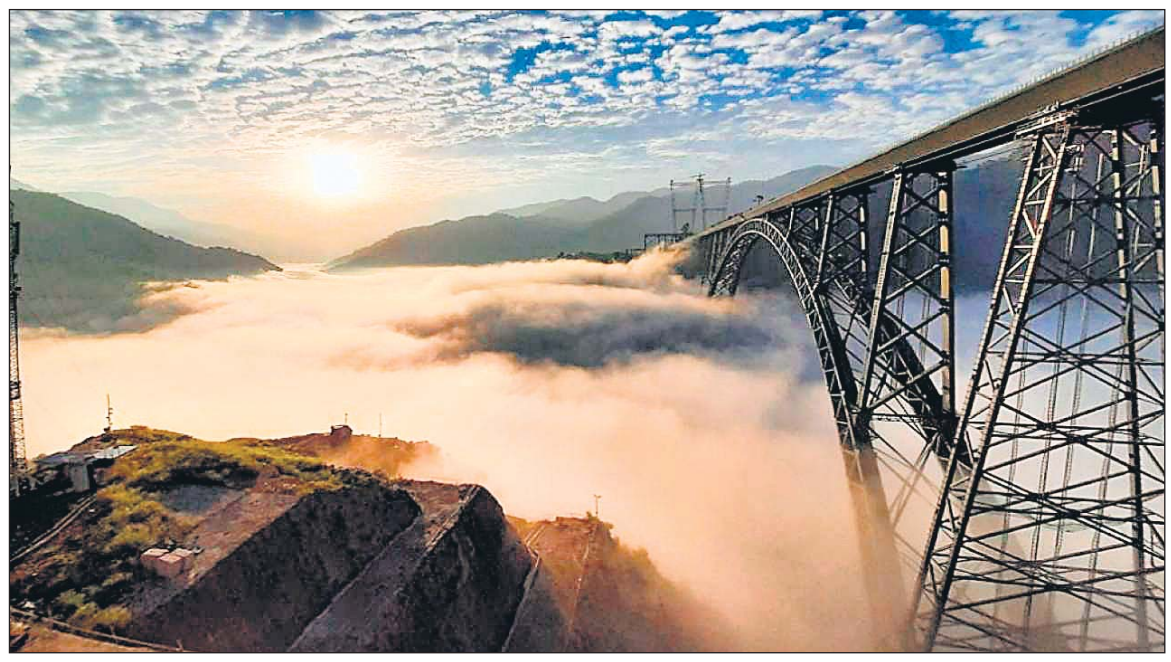

भारतीय रेलवे ने बादलों से घिरे चिनाब ब्रिज की मनमोहक तस्वीरें जारी की हैं। विश्व का यह सबसे ऊंचा पुल भारत का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है और पेरिस के आइफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तरह चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया यह पुल किसी अजूबे से कम नहीं है। भारतीय रेलवे ने ट्विटर पर इसकी चार तस्वीरें शेयर की हैं। यह पुल 1315 मीटर लम्बा तथा चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेल्वे पुल पर मेहराब का काम अप्रैल 2021 में ही पूरा हो गया था। मेहराब का कुल वजन 10619 मीट्रिक टन है और उसके हिस्सों को केबल क्रेन द्वारा लगाया गया है। यह काम भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार किया गया है। इस खूबसूरत पुल के निर्माण पर 27, 945 करोड़ रू. की लागत आई है और इस साल दिसम्बर से इस पर यातायात शुरू होने की संभावना है।

'राहुल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं।

पर सूत्रों का कहना है कि इन प्रयासों का सकारात्मक नतीजा नहीं मिला है क्योंकि राहुल अपने फैसले पर अड़े हुए हैं।

पुष्कर में मंत्री चांदना पर चप्पल-जूते फेंकने वालों पर कार्रवाई

पुलिस ने 6 जनों को नामजद किया, परन्तु पुलिस पूरी जानकारी नहीं दे रही है

- कर्नल बैंसला की श्रद्धांजलि सभा के दौरान मंत्री चांदना, मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत के खिलाफ नारेबाजी हुई थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने मंच पर बैठे मंत्री अशोक चांदना पर जूते फेंके थे।

पुष्कर, 14 सितम्बर (निसं)। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में मंच पर अतिथियों से बदतमीजी व जूते चप्पल फेंकने के मामले में पुष्कर पुलिस ने स्वयं प्रसंज्ञान लेकर छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

उत्पात मचाने, झंडे दिखाने, बोतल फेंकने व मंच पर चप्पल फेंकने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी गोपाल गुर्जर, गिरधारी गुर्जर, सांवर लाल गुर्जर, विक्की गुर्जर व जगमाल गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। थाने के ए.एस.आई. श्रवण कुमार पूरे मामले की जांच करेंगे। इन आरोपियों में से तीन पुष्कर के हैं। एक आरोपी बस्सी जयपुर एवं एक आरोपी डुमड़ा मंगलियावास अजमेर निवासी है। कहा जा रहा है कि, आरोपी बनाए जा सकते हैं। पुलिस अब इन आरोपियों की तेजी से तलाश कर रही है।

चप्पल-जूता मामले की वजह से पूरे राजस्थान की सियासत में भूचाल आया हुआ है, जिसमें गहलोत सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना ने, कथित रूप से सचिन पायलट पर इशारों-इशारों में ट्विटर पर यह तक कह दिया कि "मुझ पर जूता फेंककर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो जल्दी ही बन जाएंगे।" मैं मेरी पर आ गया तो दोनों में से कोई एक रहेगा। इस मामले में पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुष्कर थाना अधिकारी रवीश कुमार से अन्य जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया की जिला पुलिस अधीक्षक ही बतायेंगे। लेकिन पुलिस अधीक्षक मोबाइल पर कोई जवाब नही दे रहे है और ना ही कोई बातचीत कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में कुछ युवकों ने मंत्री अशोक चांदना और मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की थी। पुलिस इस मामले को लेकर एक्शन में है।

रामलला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के दर्शन आरंभ हो जाएंगे। पूर्व में उन्होंने कहा कि मगर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी 2024 के पवित्र अवसर पर राम लला के सार्वजनिक दर्शन आरंभ हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट मंदिर निर्माण करवा रहा है और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि पूजन करने के साथ ही मंदिर निर्माण शुरु हो गया था। ज्ञातव्य है कि इस वर्ष जून में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भ गृह की आधारशिला रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बैंच, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन सी.जे.आई. रंजन गोगोई थे, ने 9 नवम्बर 2014 को सर्व सम्मति से फैसला दिया था कि अयोध्या की वह भूमि, जहां बाबरी मस्जिद का ढांचा है, भगवान राम की है।

अब किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने खुलकर सचिन पायलट को निशाने पर ले लिया है

विजय बैंसला बोले, समाज सचिन पायलट के पीछे ही क्यों जाए, इंद्राज गुर्जर भी हैं और गजराज खटाना समेत कई नेता हैं

- "समाज व्यक्ति विशेष के पीछे दौड़ता है तब समाज हार जाता है।"
- उन्होंने यह भी कहा कि, मैं भाजपा का सदस्य हूँ, टिकट मिला तो भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा।

जयपुर, 14 सितम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर गुर्जर समाज की नाराजगी स्पष्ट रूप से कई बार सामने आई है और पिछले कुछ दिनों से तो सचिन पायलट समर्थक, विधायक व कार्यकर्ता राजस्थान के मंत्री-विधायकों के कार्यक्रमों में उनके नाम के नारे लगा रहे हैं, जो इस नाराजगी को प्रकट कर रहा है। इसी नाराजगी का सामना 2 दिन पहले पुष्कर में स्व. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना को करना पड़ा था, लेकिन अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने खुलकर सचिन पायलट को निशाने पर ले लिया है। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे भाजपा के सदस्य हैं और टिकट मिला दो विधानसभा का चुनाव भाजपा से लड़ेंगे।

विजय बैंसला ने अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा से समाज के 13 नेता नहीं जीते, वो क्यों हारे, यह भी समाज को समझना होगा। बैंसला ने कहा कि जब समाज व्यक्ति विशेष के पीछे दौड़ता है तब समाज हार जाता है, लेकिन जब समाज, समाज के साथ ही खड़ा रहता है तब वहां जीतता है। बैंसला ने कहा कि जब समाज व्यक्ति विशेष की विचारधारा के पीछे खड़ा रहेगा तो समाज को ही नुकसान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि समाज सचिन पायलट के पीछे ही क्यों जाए, इंद्राज गुर्जर भी हैं और गजराज खटाना समेत कई नेता हैं। कहने का तात्पर्य है कि समाज, समाज से जुड़े और मजबूत बने।

इतना ही नहीं विजय बैंसला ने यह भी कहा कि एक बार सचिन पायलट के लिए छोड़ दिया, लेकिन हमेशा नहीं छोड़ा जाता। बैंसला ने दावा भी किया कि उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से आसींद विधानसभा का टिकट दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उस समय चुनाव लड़ने से मना कर दिया था।

सोमवार को पुष्कर में कर्नल बैंसला के अस्थि कलश विसर्जन कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही कई बड़े राजनेताओं का जमावड़ा दिखा। इसके बाद कयास इसी बात के लगाए जा रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह एम.बी.सी. समाज का शक्ति-प्रदर्शन है और अब कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार कर लिया है। विजय कहते हैं कि इस कार्यक्रम में जुटे हजारों समाज बंधुओं की यह ताकत है और यही पॉलिटिक्स में एमबीसी समाज की ताल ठोक कर एंट्री भी है।

विजय बैंसला ने कहा कि वे भाजपा के मेंबर हैं और यदि अगले चुनाव में भाजपा उन्हें टिकट देती है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 40 सीटें एमबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में आती है उनमें से कहीं पर भी यदि टिकट मिलता है तो वे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, वह यह भी कहते हैं कि उनके लिए पहले समाज है और उसके बाद राजनीतिक दल। मतलब जो राजनीतिक दल एमबीसी समाज को ज्यादा प्रतिनिधित्व देगा समाज उसके साथ चलेगा।

विजय बैंसला ने कहा कि राजस्थान की करीब 75 विधानसभा सीटों पर एमबीसी समाज का बाहुल्य है और उनमें भी जिन सीटों पर 55 हजार या उससे अधिक समाज के मतदाता हैं। वहां राजनीतिक दलों को समाज बंधुओं को ही टिकट देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चाहे पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य, हमारा मकसद 37 विधानसभा क्षेत्रों में से समाज बंधुओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करवाने का है। इसीलिए हमारे लिए पहले समाज है और बाद में राजनीतिक दल।

फीफा को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

17 पुरूष फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया था।

कैबिनेट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन को खेल मैदानों, स्टेडियम पावर, एनर्जी एवं ग्बलिग तथा ट्रैनिंग साइट्स की देखभाल के लिए 10 करोड़ रूपए दिए हैं।

प्रतिस्पर्धा के मैच भुवनेश्वर, नवी मुम्बई और गोवा में होंगे।

भारत 2017 में अंडर 17 मैन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन भी कर चुका है। जिसके मैच नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुम्बई, गोवा कोची और कोलकाता में 6 से 28 अक्टूबर के बीच हुए थे।

विवाहित पुत्रियां भी अनुकंपा नौकरी की हकदार

राजस्थान हाई कोर्ट की वृहद् पीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किए

- लेकिन यह आदेश उन्हीं पर लागू होता है जिनके आवेदन सरकार के पास या कोर्ट में लंबित हों और जो सभी पात्रताएं पूरी करती हों।

जोधपुर, 14 सितम्बर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने आश्रित विवाहित पुत्रियों को भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का हकदार माना है। लेकिन यह आदेश सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जिनके आवेदन सरकार या कोर्ट के पास लंबित चल रहे हैं और विवाहित पुत्रियां अन्य सभी पात्रताएं पूरी कर रही हों।

राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष यह विधिक प्रश्न उठाया गया था कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के नियम 1996 के तहत आश्रितों में सिर्फ अविवाहित, विधवा व दत्तक पुत्री को ही शामिल किया गया है, किन्तु विवाहित पुत्री को इस दायरे में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में विवाहित पुत्री अनुकंपा नौकरी से वंचित रहती आई है। यह मामला पूर्व में खंडपीठ के समक्ष पेश हुआ, लेकिन खंडपीठ ने इस मामले को राज्य का नीतिगत निर्णय मानते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस बीच राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में नियमों में संशोधन कर दिया और विवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में शामिल कर लिया।

ऐसे में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीश संदीप मेहता, न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश अरुण भंसाली की वृहद पीठ का गठन किया गया।

इस पीठ को यह तय करना था कि इस नियम में संशोधन से पहले विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रखना क्या भेदभाव पूर्ण व संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन था। वृहद पीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद कहा कि विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करने वाला वर्ष 1996 का नियम भेदभाव पूर्ण था। यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। ऐसे में अविववाहित शब्द को हटाते हुए कहा कि वर्ष 1996 के नियम 5 में अविवाहित पुत्र, दत्तक अविवाहित पुत्री शब्द को पुत्री, दत्तक पुत्री पढ़ा जाए। साथ ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने वाले निर्णयों को पीठ ने खारिज कर दिया। अपने फैसले में वृहद पीठ ने कहा कि अविवाहित शब्द हटाने से यह ऐसे किसी मामले को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें अनुकंपा नियुक्ति पहले से दी जा चुकी है।

गांगुली और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बल्कि प्रशासन की वजह से।"

जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली इस दो सदस्यीय बैंच में उनके साथ जस्टिस हिमा कोहली थी। उन्होंन बी.सी.सी.आई. के संविधान में संशोधन को अनुमति दे दी कि बी.सी.सी.आई. के पदाधिकारों और संबंधित राज्य इकाई के पदाधिकारियों को लगातार दो कार्यकाल की अनुमति दे दी गई है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति 12 साल तक क्रिकेट संगठनों में पदाधिकारी रह सकता है 6 साल तक राज्य इकाई में और 6 साल राष्ट्रीय इकाई में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बी.सी.सी.आई. का यह तर्क खारिज कर दिया कि 70 साल की आयु सीमा हटा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पदाधिकारियों के लिए आयू सीमा 67 वर्ष बताई। जहां बी.सी.सी.आई. ने तर्क दिया प्रबंधन के लिए अनुभव आवश्यक है तो कोर्ट ने इंग्लैण्ड और ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया और पूछा क्या आपने 75 साल से अधिक के लोगों को ई.सी.बी. (इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड) और सी.ए. (क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया) में काम करते देखा हैं।

'रिज़र्ववेशन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विल्सन ने कहा कि यदि 15(6) का क्रियान्वयन हो जाता है तो समानता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 46 की बात करते हुए, जो कि कमजोर तबके के लिए है, उन्होंने कहा कि जाति और सामाजिक पिछड़ेपन का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है।

भाजपा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा कार्यकर्ताओं यह दायित्व सौंपा गया है तथा उन्हें ऐसे आदेश प्रदान किये गये हैं कि वे एस.सी. बहुत तथा आरक्षित सीटों के अन्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों पर पार्टी की मौजूदगी एंव उसके समर्थन का यथासम्भव बढ़ायेंगे। भाजपा एस.सी. मोर्चो के कार्यकर्ताओं को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे एस.सी. युवाओं को लक्ष्य बनाते हुये गहन सम्पर्क अभियान चलायेंगे। पार्टी ने पूरे देश में 7500 एस.सी. युवा छात्रावास चिन्हित किये हैं तथा पार्टी की योजना है कि वहाँ इस समुदाय के उपक्षित महापुरूषों पर डिबेट शुरू की जायेंगी। "पंचतीर्थ" डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े स्थानों के पुनर्विकास की मोदी सरकार की योजनाओं को जोर देते हुये उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। भाजपा सरकार ने दिल्ली के प्रमुख स्थान पर डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन सेन्टर भी बनाया है।

हाईकोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने के मामले में निर्दोष माने गए युवक कोमल लोढ़ा के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर झालावाड एसपी को 19 सितंबर को तलब किया है। अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से भी पूछा है कि अदालती आदेश की पालना में अब तक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की गई है या नहीं? जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश दिए।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रो-बोनो अधिवक्ता नितिन जैन ने बताया कि अदालत ने 11 मई 2022 को कहा था कि हम बड़े ही भारी हृदय और न्याय की उम्मीद के साथ ऐसे अपराध के आरोपी को आजीवन कारावास में भेज रहे हैं, जो उसने किया ही नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने झालावाड एसपी को आदेश दिए थे कि वह केस का दो माह में पुन: अनुसंधान करें और जिन अफसरों ने केस लड़ने में असक्षम युवा को फंसाया है, उन अफसरों पर कार्रवाई भी करें। हाईकोर्ट के सामने आई रिपोर्ट से पता चला था कि दो अन्य लोगों का डीएनए पीडिता के कपड़ों पर मिला था। इसके बावजूद पांच महीने बाद भी ना तो अग्रिम अनुसंधान किया है और ना ही दोषियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली के कारण एक निर्दोष व्यक्ति जेल में बंद है। इस पर अदालत ने झालावाड़ एसपी को 19 सितंबर को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। गौरतलब है कि झालावाड़ के कामखेड़ा थाना इलाके में 28 जुलाई 2018 को सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में कोमल लोढ़ा को गिरफ्तार करते हुए घटना के 9 दिन में ही कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिया। वहीं पॉक्सो कोर्ट ने भी आरोपी को अन्य अपराधों के अलावा हत्या के आरोप में 23 फरवरी 2019 को फांसी की सजा सुना दी। मामला हाईकोर्ट में आने पर अदालत ने फांसी को आजीवन कारावास में बदला था। इस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण रिमांड करते हुए फांसी या आजीवन कारावास के संबंध में फैसला लेने का निर्देश दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने कोमल को बेगुनाह मानते हुए उसे आजीवन कारावास में भेजते हुए झालावाड़ एसपी को केस रीओपन करने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने को कहा था।

पांच महीने की भारत जोड़ो यात्रा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्भर करता है कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद, यानी पाँच महीने के बाद क्या करते हैं। राजनीति 365 दिन की तथा 24 घंटे की सतत गतिविधि बन चुकी है। इस यात्रा का लाभकारी असर यात्रा के पूरा होने के केवल दो तीन महीने बाद तक ही रहेगा। इसके बाद फॉलो-अप की जरूरत हैं।

दत्ता ने कहा कि छवि गढ़ने का काम कोई भी कर सकता है, और राहुल गांधी भी इसे गढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इसके लिये बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्रयास तथा पूरी तरह से निरन्तरता आवश्यक है। जहाँ तक कोशिश का सम्बन्ध है, वे आसानी से कर सकते हैं तथा जहाँ तक पैसे एवं निरन्तरता की बात है, वे बहुत ज्यादा सुपरिचित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक जो कुछ किया है, उसकी ठीक विरोधाभासी स्थिति यह है कि भाजपा झूठे बयान देती है, लेकिन वह वाट्सऐप, ट्विटर तथा हर सम्भव मंच पर उस गलत बयानी पर जमी रहती है। यही स्थिति "आप" की है। ये दोनों ही दल बहुत ज्यादा विशाल धनराशि खर्च करते हैं, मीडिया को देते हैं, एंकरों को देते हैं, मीडिया मालिकों को देते हैं, जिससे कि उनके सन्देश हर हर जगह पहुँचते रहें।

कांग्रेस भी ऐसा कर सकती है। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि क्या कांग्रेस के पास उस किस्म का पैसा है तथा क्या वह उस पैसे को इन चीजों पर खर्च करना चाहती है। इसके अलावा, दूसरी चीज है-निरन्तरता। इससे पहले भी, कई बार राहुल गांधी ने बहुत सी समझदारी की बातें कही हैं। लेकिन अगर आप सामने तथा समाचारों में रोजाना नहीं बने रहते, तो वे समझदारी की बातें कारगर नहीं रहतीं। लेकिन एक बात तो तय है कि यह यात्रा राहुल गांधी के पक्ष में इतना तो जरूर करेगी कि कांग्रेस के अन्दर, उभयपक्षीय लोगों में तथा उन लोगों में, जो यह मानते हैं कि राहुल कुछ नहीं करते या मेहनत करने की उनकी क्षमता पर सन्देह करते हैं, उनमें राहुल गांधी को अलग तरह से देखा जाने लगेगा।

पिछले डेढ़ महीने से, राहुल गांधी खबरों में लगातार बने हुये हैं। अब यह उन पर निर्भर है कि वे इस प्रकार की निरन्तरता एवं नियमितता जारी रखते हैं या नहीं, तथा यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि नहीं कि कांग्रेस की इकाइयों में अन्दरूनी खींचतान ने रहे तथा पाटी ऐसी बड़ी गलतियाँ नहीं करे, जैसी उसने पंजाब और उत्तराखंड में की थी। तब ऐसा लगेगा कि वे परिदृश्य तथा प्रतिस्पर्धा में बने हुये हैं।

दत्ता ने कहा, " वे (राहुल) सही काम कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह भी है कि क्या यह पर्याप्त है। यह काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वे इसका "फॉलो अप" किस तरह करते है।" कुल मिलाकर दत्ता का कहना यही था कि यह एक अच्छी शुरूआत हैं।

'हिजाब एक धार्मिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैंच ने पूछा, "अगर अदालतें इस प्रकरण पर निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं तो इसका फैसला कौनसा मंच (फोरम) करेगा।

धवन: "विवाद क्या था?। क्या हिजाब अनिवार्य प्रथा है? चूँकि यह प्रथा लम्बे समय से चली आ रही है, निर्विवाद है तथा प्रचलन में है, इसलिये इसे अनुमति दी जानी चाहिये तथा इसके लिये धार्मिक ग्रंथ का हवाला देने की कोई जरूरत नहीं है।" उन्होंने मुस्लिम धर्म के सिद्धान्तों का हवाला देते हुये कहा कि अगर किसी चीज की अनुमति है तथा वह प्रामाणिक एवं निष्कपट है तथा धार्मिक ग्रंथ तक जाने की कोई जरूत नहीं है। इसके अलावा, अगर किसी समुदाय की कोई मान्यता है तो जज, उस मान्यता पर दिये गये फैसले पर बैठने के बजाय, उस मान्यता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। केरल उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुये, उन्होंने आगे कहा कि कुरान तथा हदीस के आदेशों के विश्लेषण यह दर्शायेंगे कि सिर ढ़कना एक "फर्ज" है। बैंच ने पूछा कि यह कहने का आधार क्या है कि यह एक फर्ज है?

उन्होंने आगे कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब अनुमति है तो फिर यह कहने का आधार क्या है कि कक्षाओं में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती तथा इसे पहनना सार्वजनिक आदेश के खिलाफ है? निष्कर्ष के रूप में, धवन ने कहा कि हिजाब के विरूद्ध दिये गये कर्नाटक सरकार के आदेश का कोई आधार नहीं है तथा चूँकि यह अनुच्छेद 14 एवं 15 का उल्लंघन करता है, इसलिए संविधान के अनुसार उचित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हिजाब के निषेध मुस्लिम बालिकाएं स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर हो गई हैं। उहोंने कहा कि अगर हिजाब एक अनिवार्य धार्मिक चलन नहीं भी पाया जाता है, तो भी एक सांस्कृतिक प्रथा के रूप में , इसे संविधान के अनुच्छेद 29 (1) के तहत संरक्षण मिलना चाहिये। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति गुप्ता तथा धूलिया ने कहा कि बालिकाओं में "ड्रॉप आउट" दर बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पर बहस नहीं की गई। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि उच्च न्यायालय यह छान-बीन कर सकता था कि क्या इस पर दलीले दी जानी चाहिये थीं। उन्होंने अहमदी से पूछा क्या उनके पास छात्राओं के "ड्रॉप आउट" के प्रामाणिक आँकड़े हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908